

निदेशक (प्रणाली) दिल्ली.
डापिरी नं. 4037
दिनांक 19-3-25

दिल्ली विकास प्राधिकरण
गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेश:- 148


दिनांक: 17/3/25

विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के आधार पर एवं आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुमोदन पर, उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा., श्री वीरेंद्र सिंह तोमर सुपुत्र श्री हर चन्दी, निदेशक (प्रणाली) [Sh. Veerender Singh Tomar S/o Sh. Har Chandl, Director (Systems)], [यू.आई.डी.-0102136], को आयुक्त (प्रणाली) के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 13 (Rs. 1,23,100 - 2,15,900/-) में (जो कि छठे वेतन आयोग में 37,400 - 67,000/- रु. के पे बैंड में 8700/- रु. के ग्रेड पे था) पदोन्नत करते हैं।

2. यदि श्री वीरेंद्र सिंह तोमर सुपुत्र श्री हर चन्दी को ए.सी.पी./ एम.ए.सी.पी./ एन.एफ.एस.जी. स्कीम के अंतर्गत 37400 - 67000/- रु. के वेतनमान में 8700/- रु. के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) (जो कि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 13 है) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 13 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के आधार पर होगा। उनके वेतन का निर्धारण एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा तथा वे इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. यह पदोन्नति प्रोविज़नल है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अवमानना याचिका संख्या 314/2016 और एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 4831/2012 के परिणाम के अधीन हैं।

4. पदोन्नति के परिणामस्वरूप श्री वीरेंद्र सिंह तोमर सुपुत्र श्री हर चन्दी को आयुक्त (प्रणाली) के पद पर तैनात किया जाता है। श्री वीरेंद्र सिंह तोमर को उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है। उनकी पदोन्नति उनके नए पद पर तैनाती (Joining) होने की तिथि से प्रभावी होगी।


(विनीत जैन) 17/3/25


आयुक्त (कार्मिक)

दिनांक:- 17/3/25


सं.-एफ.10(02)2025/सी.सी./243

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
2. अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
3. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
4. प्रधान आयुक्त (कार्मिक) / प्रणाली / आवास / भूमि निपटान / भूमि प्रबंधन, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
5. आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
6. अतिरिक्त आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
7. आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
8. निदेशक (डी.डी.-II), आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को सूचनार्थ उनके पत्र सं K-11011/2/2022-DDII (E-9122592) दिनांक 13.03.2025 के संदर्भ में।
9. निदेशक (कार्मिक)- I / सतर्कता I, II / प्रणाली, दि.वि.प्रा.।
10. उप निदेशक (कार्मिक)-I / सतर्कता (प्रशासन) / आरक्षण कक्ष, दि.वि.प्रा.।
11. उप निदेशक (प्रणाली) / पी.एम.आई.एस., दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डालने हेतु (About us-> Organisation-> Personnel-> Promotions)।
12. सहायक निदेशक (कार्मिक)-I / पी.एम.आई.एस. / प्रणाली / गोपनीय कक्ष - II, दि.वि.प्रा.।
13. लेखाधिकारी (संस्था.) राजपत्रित, दि.वि.प्रा.।
14. उक्त उल्लिखित अधिकारी।
15. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल।


19.3.25

Sh. Ramjan AD'S
19.3.25
Sh. Dar, Website Team


17/3/25

(प्रमोद कुमार)

उप निदेशक (गोपनीय)

